कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी – 221002

पत्रांक : प0सा0 / विविध / 148 / 2019

दिनांक : 04 जून, 2019

प्रेस विज्ञप्ति / आवश्यक–सूचना

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections) के लिये प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी

उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–2 के पत्रांक 1 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का0–2 / 19 टी0सी0–।। दिनांक 18 फरवरी, 2019 के क्रम में सहा0शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज के पत्र संख्या डिग्री सेवा / 421–37 / 2019–20 दिनांक 30.05.2019 के आलोक में विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की आपात बैठक दिनांक 01 जून, 2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक व शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान में लागू राज्य सरकार की योजना / नीति से आच्छादित नहीं है, तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं को अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में उपलब्ध कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम् 10 प्रतिशत का आरक्षण अधोलिखित शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अनुमन्य किया जायेगा–

(क)– जिनके परिवार के समस्त श्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक आय रु0 8.00 लाख से कम होगी। समस्त श्रोतों से आय में वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से प्राप्त आय सम्मिलित होगी और यह आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की होगी। इस उद्देश्य के लिए लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिवार में उसके / उसकी माता पिता व 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन के साथ साथ उसका / उसकी, पति / पत्नि और 18 वर्ष से कम आयु के उसके बच्चे सम्मिलित होगें। परन्तु

(ख)– ऐसे व्यक्ति, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में पात्र नहीं होगें–
(अ)–जिनके परिवार के स्वामित्व अथवा कब्जे में 05 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि हो, या
(ब)–1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्र को आवासीय फ्लैट हो, या
(स)–अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भूखण्ड हो, या
(द)–अधिसूचित नगरपालिकाओं के क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र को आवासीय भूखण्ड हो।

(ग)– परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी / प्रमाणित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय की **website- www.mgkvp.ac.in** पर जाकर प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के माध्यम से लागिन कर आवश्यक सूचना पूरित करते हुये संशोधित आवेदन–पत्र का प्रिन्ट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। काउन्सिलिंग के समय संशोधित आवेदन–पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (**Economically Weaker Sections**) सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त श्रेणी में आरक्षण के पात्र नहीं होगें।

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 कुलपति जी– सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. कुलानुशासक।
4. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / पाठ्यक्रम प्रभारी
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।